(b) if not, the reasons for *the* delay; and

(c) the details of the contemplated refinery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c)The detailed feasibility report (DFR) for implementing a Joint Venture Refinery at Bhaiinda with equity contribution of 26% each by the JV Partners has been submitted by HPCL. The estimated cost of the refinery and power plant as per the DFR is Rs. 9644 crores and Rs. 3364 crores respectively.

The Project is expected to be completed within 48 months from the date of Government's approval. The project is planned to be funded by IV Company through debt equity ratio of 1.5:1.

कुमाऊं मण्डल में रसोई गैम की एजेंसी खोलने हेतु सर्वेक्षण

4088. **श्री राजनाध सिंह**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुमाऊं मण्डल विकास निगम ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जंगलों के संरक्षित हो जाने के फलस्वरुप उत्पन्न हुई ईधन समस्या के हल हेतु उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है यहां पर सरोई गैस एजेंसो खोलने की र्सभावना हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त सवेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) "सरोई गैस की पर्वतीय क्षेत्र (ग्रामीण) विपणन योजना" के अंतर्गत बसोत/भिकियासैण (अल्मोड़ा) में रसोई गैस एजेंसी खोलने के प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा वर्तमान में इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):(क) और (ख) कुमाऊं मण्डल विकास निगम (के एम वी एन) उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि कमाऊं मण्डल विकास निगम ने एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिप खोलने के लिए सर्वेक्षण कराए हैं। तथापि इस क्षेत्र की ईधन आवश्यकता पूरी करने के लिए तेल कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि 2000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में मांग करते ही एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाएं। 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों में एल पी जी की कोई प्रतीक्षा सूची बकाया नहीं थी।

(ग) बसोत और भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा में मैसर्स रानीखेत गैस सर्विस, रानीखेत (कुमाऊं मण्डल विकास निगम की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप) के मौजूदा एल पी जी विस्तार केन्द्र है। बसोत और भिकियासैण में लोगों की एल पी जी मांग फिलहाल इन विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

भीकियासैण के लिए एल पी जी विपणन योजना 1997-98 में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूट्रशिप शामिल की गई है और इसे शारीरीक विकलांग श्रेणी के अंतर्गत 18.6.98 को विज्ञाप्ति किया गया है।

बसोत स्वतंत्र रूप से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, भिकियासैण के लिए व्यवहार्यता का पता लगाते समय बसोत स्थान पर भी विचार किया गया था क्योंकि यह भिकियासैण से 15 कि.मी. के दायरे में स्थित है और इसमें वहां से आपूर्ति की जाएगी।

एल पी जी के कनेकशनों को रामपूर स्थानांतरित किया जाना

4089. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामपुर में गैस एजेसियों का ब्यौरा क्या है त्था अप्रैल, 1997 से जून, 1998 तक भारत के विभिन्न स्थानों से रामपुर में एल पी जी कनेक्शनों के स्थानांतरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदकों को कनेक्शन देने से मना कर दिया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में मैसर्स प्रगति फ्लेम तथा समीर गैस से संबद्धता हेतु आवेदन करने वाले ग्राहकों ने अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु कई बार उपरोक्त एजेंसियों से संपर्क किया परंतु उन्हें कोई न कोई बहाना बना कर टाल दिया गया; और

(ग) इस तरह की शिकायतो का ब्यौरा क्या है तथा उनका निराकरण कब तक किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उत्तर प्रदेश में रामपुर में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों की प्रचालन कर रही तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें है। अप्रैल, 1997 से जुन, 1998 तक की अवधि के संबंध में इल डिस्ट्रीब्यूचरशिपों पर प्राप्त किए गए अंतरण पाठचरों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

हौलर का नाम	प्राप्त किए गए अंतरण वाउचरों की संख्या	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
प्रगति फ्लेम	444	432
प्रिय इंटरप्राइजिज	127	119
समीर गैस एजेंसी	182	127

शेष मामलों में कनेक्यान जारी करने वाले वितरकों से या तो अभिपष्टि की प्रतीक्षा है अथवा ग्राहक, जिन्हें कनेक्शन जारी किए जाने हैं, उपस्थित नहीं हुए है।

(ख) और (ग)सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों को समापन वाउचरों पर आधारित कने क्शनों की अस्वीकार्यता/कनेक्शन जारी न किए जाने के संबंध में, संभावित ग्राहकों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

Cancellation of Petrol pumps/Gas Agencies in Sultanpur

4090. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the petrol pumps, which were cancelled by an order of the Court, are still run by their original allottees and have not been auctioned, so far,

(b) if so, the reasons, therefor:

(c) how many such petrol pumps and gas agencies were cancelled in Sultanpur District of Uttar Pradesh and how many of them have been auctioned; and

(d) the latest position in this regard alongwith the reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (*a)* and (b) Hon. Supreme Court of India vide its Order dated 25.9.96 in writ petition (C) No. 26/93 filed by Common Cause had cancelled 15 retail outlet dealerships and directed oil companies to stop operation of petrol pumps which were conunissioned, by 31.10.1996 and thereafter take over the petrol pump premises from these persons within ten days. Similarly Hon. High Court of Delhi in its Order dated 29.8.97 in writ petition No. 4003/95 filed by Centre for Public Interest Litigation has cancelled 72 dealerships/ distributorships and directed oil companies to take over the dealerships/distributorships cancelled by them which were in operation, by 1.12.1997. Accordingly, none of the dealerships/distributorships cancelled by the Hon. Supreme Court on 2S.9.96 and Hon. High Court of Delhi on 29.8.97 is being run by the original allottees. With regard to auction of dealerships/distributorships, oil companies have filed an application seeking clarification from the Hon. High Court of Delhi. The same is sub-judice.

(c) and (d) Five retail outlets and 2 LPG distributorships in Sultanpur Distt. (UP) have been cancelled. None of these dealerships/ distributorships has been auctioned. Further action will be taken as per direction of the Hon. High Court of Delhi. Some of the dealerships/ distributorships are being run on ad hoc basis as per permission granted by the Hon. High Court

Allotment of Distributorship of Oil Companies

4091. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to answer to Starred Question 154, given in the Rajya Sabha on 28th November, 1997, and state:

(a) whether it is a fact that process for allotment of the distributorship of Oil Companies in U.P. is still hotch-potch and not even a single allotment has been made, so far;

(b) if not, the names of those areas where allotment process has since been completed and the fate of Shambhal where allotment process has been lingering on for the last two and half years; and

(c) what will be the prescribed norms for such allotments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) and (b) Selection of dealers/ distributors has not taken place on account of various factors such as announcement of General Elections and freezing of selection process due to Model Code of Conduct, revision in the Dealers Selection guidelines and non-functioning of the Oil Selection Boards. Distribmorship for Shambhal has been readveitised for selection of dealer through the Dealer Selection Board.